रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 7, 1971/अग्रहायण 16, 1893
No. 217] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 7, 1971/AGRAHAYANA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

28/11/72

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 7th December 1971

G.S.R. 1845.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 190/71-CE, dated the 5th November, 1971, the Central Government hereby exempts newspapers and all other printed periodicals falling under Item No. 61 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), cleared for home consumption in any calendar year from the whole of the duty of excise leviable thereon provided that average circulation of each such newspaper or, as the case may be, periodical, in such year does not exceed fifteen thousand copies per publishing day.

Explanation I.—In this notification, "average circulation", in relation to a newspaper or, as the case may be, a printed periodical, means the average number of copies sold and includes copies distributed free per publishing day, calculated on the basis of the total number of days of publication during the calendar year.

Explanation II—During the period commencing on the 15th November, 1971 and ending with the 31st December, 1971, the average circulation shall be determined

with reference to the total number of days of publication during the period aforesaid or with reference to the calendar year 1971, whichever is beneficial to the assessee.

2. The benefit referred to in Explanation II to paragraph 1 of this notification shall not be applicable to such copies of newspaper or periodical in respect of which the amount of excise duty has already been collected from the person to whom such newspaper or periodical has been sold.

[No. 202/71.]

B. K. AGARWAL, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1845.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 190/71-के०उ० शु० तारीख 5 नवम्बर, 1971 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 61 के अधीन आने वाले, किसी कलैण्डर वर्ष में, स्वदेश में उपभोग के लिए निकासित समाचार पत्रों और सभी अन्य मुद्रित सामयिकियों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है, परन्तु कि, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक समाचार पत्र या सामयिकी का औसत परिचलन ऐसे वर्ष में प्रति प्रकाशन दिन पंद्रह हजार प्रतियों से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण I: इस अधिसूचना में यथास्थिति, किसी समाचारपत्र या मुद्रित सामयिकी के संबंध में "औसत परिचलन" से विक्रय की गई प्रतियों की औसत संख्या अभिप्रेत है और इसमें कलैण्डर वर्ष के दौरान प्रकाशन के दिनों की कुल संख्या के आधार पर संगणित प्रति प्रकाशन दिन की वितरित निःशुल्क प्रतियां सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण II: 15 नवम्बर, 1971 को प्रारंभ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान औसत परिचलन, पूर्वोक्त अवधि के दौरान प्रकाशन के दिनों की कुल संख्या के प्रति निर्देश से या कलैण्डर वर्ष, 1971 के प्रति निर्देश से, जो भी निर्धारिती को फायदाप्रद हो, अवधारित किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना के पैरा 1 के स्पष्टीकरण II में निर्दिष्ट फायदा समाचारपत्र या सामयिकी की ऐसी प्रतियों को, जिसके बारे में, उत्पाद शुल्क की रकम, ऐसे व्यक्ति से, जिसे ऐसा समाचारपत्र या सामयिकी बेची गई है, पहले ही संग्रहीत की गई है, लागू नहीं होगा।

[सं० 202/71]

बी० के० अग्रवाल, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971